Witness–NO–..**05**.....For–.....**अभियोजन साक्ष्य**.....Deposition taken this .....

06.04.2026.....day of.....**सोमवार**....Witness apparent age– .....**65 वर्ष** .....

States on affirmation/My name is– .....**.मिनकेतन साहू**.....

S/of– .....**..फरहारु साहू**.....Occupation– .....**कृषि**.....

Address–...**साकिन–बिलाईगढ, थाना–बिलाईगढ, जिला–सारंगढ़–बिलाईगढ (छ०ग०).....**

साक्ष्य प्रारंभ समयः–01.35 बजे से ।

मुख्य परीक्षण द्वारा ए०डी०पी०ओ० वास्ते राज्य

01. मैं न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त योहान उर्फ किशन को जानता पहचानता हूँ अभियुक्त किशन प्रार्थिया का पति है इसलिए जानता पहचानता हूँ । साक्षी को गिरफ्तारी पत्रक में चस्पित अभियुक्त मनोहर साहू जो अभियुक्त का पिता है, सूर्यकांति साहू जो अभियुक्त की माता है, को जानना पहचानना बताया है । गिरफ्तारी पत्रक में चस्पित आरोपिया मीरा साहू एवं वेदप्रकाश साहू का फोटो दिखाये जाने पर जानने पहचानने से इंकार किया है ।

02. घटना लगभग 03 वर्ष पूर्व की है । मुझे जानकारी हुई थी कि अभियुक्त किशन एवं प्रार्थिया ममता के मध्य दहेज के बात को लेकर लड़ाई–झगड़ा हो रहा था जिसे शांत कराने के लिए ग्राम बिलाईगढ़ के ग्राम पंचायत में अभियुक्त एवं प्रार्थिया के घरवालों द्वारा बैठक बुलाई गयी थी जिसमें ग्राम पंचायत के सरपंच एवं अन्य सदस्यगण तथा ग्रामीण उपस्थित हुए थे, मैं भी उपस्थित था । बैठक में अभियुक्त द्वारा उसे दहेज में मिली हुई

उपहार स्वरुप वैगन–आर कार को पसंद नहीं है बोलकर अपने ससुर जी को लौटाना चाह रहा था तथा कार के बदले नगद 6,00000/–रुपये की मांग कर रहा था जिसे अभियुक्त के ससुर किशोर द्वारा मना करते हुए कहा कि जो दहेज स्वरुप उपहार में दिया गया है, उसे ही रख लीजिए । उक्त बैठक में अभियुक्त को समझा बुझाकर उसकी पत्नी ममता के साथ रायगढ़ भेज दिये थे ।

03. अभियुक्त एवं उसकी पत्नी प्रार्थिया ममता रायगढ में एक–दो दिन साथ रहे उसके बाद फिर से अभियुक्त एवं ममता के मध्य लड़ाई–झगड़ा होने पर ममता द्वारा अपने पिता किशोर को रायगढ़ बुलाये थे, मैं भी किशोर के साथ रायगढ़ ममता को लेने गया था । वहां पर ममता को समझाया बुझाया था और ममता को अपने साथ वापस बिलाईगढ़ लेकर आ गये थे । मैं घटना के कुछ दिनों बाद किशोर के साथ थाना बरमकेला गया था वहां पुलिस वालों ने पुछताछ किये थे और मैंने ऐसा ही बयान दिया था ।

<u>अभियोजन अधिकारी द्वारा सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति चाही गयी विचारोपरांत न्यायालय द्वारा अनुमति दी गयी ।</u>

04. साक्षी को उसका पुलिस **बयान प्र०पी० 04** के अ से अ भाग का कथन "ममता साहू का विवाह... ... ...अनुसार लिखा गया है", को पढ़कर सुनाये जाने पर ऐसा बयान पुलिस को देना बताया है ।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री एल के पटेल अधिवक्ता वास्ते अभियुक्तगण</u>

05. मैं प्रार्थिया के विवाह के दिन, तिथि एवं वर्ष नहीं बता सकता हूँ । यह कहना सही है कि अभियुक्त किशन साहू एवं प्रार्थिया के विवाह का रिश्ता मेरे समक्ष तय नहीं हुआ था । यह कहना सही है कि प्रार्थिया विवाह के पश्चात अपने ससुराल अभियुक्त किशन साहू के साथ चली गयी थी, प्रार्थिया के ससुराल में प्रार्थिया के साथ होने वाले वाद–विवाद लड़ाई–झगड़ा के संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है । यह कहना सही है कि प्रार्थिया के द्वारा उसके साथ होने वाले किसी वाद–विवाद या लड़ाई–झगड़ा के संबंध में कभी मुझे कोई जानकारी नहीं दी गयी है । यह कहना सही है कि प्रार्थिया एवं अभियुक्त किशन साहू विवाह के समय उपहार के रुप में एक–दूसरे को कौन–कौन सा सामान दिये थे, इसकी मुझे जानकारी नहीं है, स्वतः कहा कि वैगन आर कार अभियुक्त किशन साहू को विवाह के समय प्रार्थिया के परिवार वालों के तरफ से दिया गया था ।

06. यह कहना सही है कि ऊपर बताये अनुसार वैगन आर कार के अलावा अन्य कोई सामग्री अभियुक्त किशन साहू को विवाह के समय प्रार्थिया के परिवार वालों के तरफ से दिया गया था, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है । प्रार्थिया एवं अभियुक्त किशन साहू के बीच दहेज की बात को लेकर लड़ाई–झगड़ा होने की जानकारी मुझे रायगढ़ जाने पर हुई थी, मैं रायगढ जाने की दिन, तिथि, माह एवं वर्ष नहीं बता सकता हूँ । यह कहना सही है कि रायगढ़ में मेरे समक्ष प्रार्थिया एवं अभियुक्त किशन के बीच लड़ाई–झगड़ा एवं मारपीट की कोई घटना नहीं हुई थी, स्वतः कहा कि मारपीट नहीं हुई थी लेकिन अभियुक्त किशन साहू के द्वारा प्रार्थिया को धमकी दी जा रही थी ।

समय 02.00 बजे

टीप–चायकाल होने से प्रतिपरीक्षण स्थगित किया गया ।

साक्षी को पढ़कर सुनाया गया ।
सही होना पाया ।

मेरे निर्देशन पर टंकित ।

सही/–
(सुनीति नेताम)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सारंगढ़ (छ०ग)

सही/–
(सुनीति नेताम)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सारंगढ (छ०ग)

साक्षी के हस्ताक्षर

टीप–चायकाल पश्चात साक्षी को शपथ दिलाकर पुनः प्रतिपरीक्षण प्रारंभ किया गया ।

साक्ष्य प्रारंभ समय–03.00

07. प्रार्थिया के मायके घर में बैठक आयोजित की गयी थी जिसकी दिन, तिथि मैं नहीं बता सकता हूँ । उक्त बैठक में ग्राम पंचायत बिलाईगढ के कोई पदाधिकारी उपस्थित नहीं थे, स्वतः कहा कि गांव के अन्य व्यक्ति एवं भूतपूर्व सरपंच एवं पटेल उपस्थित थे । उक्त बैठक प्रार्थिया के पिता के द्वारा आयोजित किया गया था । यह कहना गलत है कि उक्त बैठक में अभियुक्त एवं उसके परिवार के लोग उपस्थित नहीं थे । उक्त बैठक में सम्मिलित होने के लिए प्रार्थिया अपने ससुराल से आयी हुई थी । मैं और प्रार्थिया के पिता, चाचा तथा एक और अन्य व्यक्ति रायगढ़ गये थे, रायगढ जाने की तिथि आज मुझे याद नहीं है ।

रायगढ में प्रार्थिया एवं अभियुक्त थे और कोई अन्य व्यक्ति नहीं थे । यह कहना गलत है कि हम लोग जब रायगढ गये थे उस दिन प्रार्थिया एवं अभियुक्त के बीच कोई वाद–विवाद या लड़ाई–झगड़ा नहीं हुआ था । रायगढ में हुए वाद–विवाद या लड़ाई–झगड़ा के संबंध में प्रार्थिया के द्वारा कहीं पर शिकायत गया था या नहीं, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है ।

08. पुलिस ने मुझसे कब पुछताछ की थी, आज मुझे याद नहीं है । यह कहना सही है कि मैं पुलिस को बयान देते समय प्रार्थिया एवं अभियुक्त के बीच हुए वाद–विवाद या लड़ाई–झगड़ा के संबंध में नहीं बताया था । यह कहना गलत है कि मैं प्रार्थिया के पिता के सिखाये अनुसार अभियुक्त को फसाने के लिए झूठा कथन कर रहा हूँ ।

साक्ष्य समाप्त समयः–03.20 बजे तक ।

साक्षी को पढ़कर सुनाया गया ।
सही होना पाया ।

मेरे निर्देशन पर टंकित ।

सही/–
(सुनीति नेताम)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सारंगढ़ (छ०ग)

सही/–
(सुनीति नेताम)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सारंगढ (छ०ग)

साक्षी के हस्ताक्षर